राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ।

दिनांक 4 दिसम्बर, 1989 को प्रात: 11.00 बजे कृषि विज्ञान केन्द्र, बीछवाल बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की बैठक का कार्यवृत:

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे:

1§. डा. के. एन. नाग §अध्यक्ष§
2§. श्री बी. डी. कल्ला
3§. श्री. एम. एल. मेहता
4§. प्रो. पी. डी. शर्मा
5§. प्रो. शिवनाथ सिंह कपूर
6§. श्री राम गोपाल चौधरी
7§. डा. एस. एन. सक्सेना
8§. डा. ओ. एस. राठोड़
9§. डा. के. पी. पन्त
10§. श्री यूसुफ अली
11§. श्री राजन सुद्रेशन
12§. श्री खुशाहल सिंह §सदस्य सचिव§

आमंत्रित सदस्य

1. श्री बी. एस. उज्वल
2. श्री एस. पी. पुरोहित
3. डा. जे. एस. भाटिया

डा. आर. एस. परोदा व डा. एस. एस. आचार्य ने बैठक में भाग लेने में अपनी असमर्थता व्यक्त की ।

बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व कुलपति महोदय ने बोर्ड के नये सदस्यों के रूप में बैठक में प्रथम बार भाग लेने पर डा. ओ. एस. राठोड़, श्री यूसुफ अली एवं श्री राजेन्द्र सुद्रेशन का स्वागत किया ।

प्रबन्ध बोर्ड के सभी सदस्यों ने डा. बी. पाल, भूतपूर्व महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया ।

राकृवि/प्रबो-14 89-7/176 — प्रबन्ध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 4 सितम्बर, 1989 के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि कार्यवृत की पुष्टि की जाय ।

राकृवि/प्रबो-14/89-7/177 — दिनांक 4.9.89 की बैठक के कार्यवृत की क्रियान्विति पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि कार्यवृत की क्रियान्विति को निम्न टिप्पणी के साथ आलोकित किया जाय ।

अ§ मद संख्या 175 पर लिये गये निर्णयानुसार कृषि अनुसंधान/विस्तार शिक्षा/ व पशु विज्ञान अनुसंधान निदेशालयो को बीकानेर स्थानान्तरित करने के निर्णय पर राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं. 517/कृषि/ ग्रुप-2ए/89 दिनांक 7.11.89 द्वारा यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश प्राप्त हुए हैं ।

.....2.

सदस्यों द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के ऐसे निर्णय के संबंध में स्थगन ओदश प्रसारित करना तकनिकी तौर पर आपति जनक है । इस संबंध में यदि कोई सुझाव कुलपति महोदय को प्राप्त होता तो अधिक उपयुक्त रहता । यह भी जानकारी दी गई कि पशु विज्ञान अनुसंधान निदेशालय का कार्यालय बीकानेर में स्थानान्तरित पूर्व में हो ही चुका है । कृषि प्रसार निदेशालय राज्य सरकार की विधान सभा मार्च 1987 की घोषणानुसार उदयपुर की प्रवृतियों के साथ यथावत रहेगा ।

राकृवि/प्रबो-14/ 89-7/178 कुलपति द्वारा प्रसारित विभिन्न ओदेशों का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

निर्णय लिया गया कि कुलपति द्वारा प्रसारित आदेशों को आलोकित किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-14/ 89-7/179 प्रबन्ध बार्ड के अंतर्गत एक स्थापना समिति के गठन किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ ।

निर्णय लिया गया कि एक स्थापना समिति का गठन किया जाय जो शिक्षकों एवं वैज्ञानिकों की चरीयता, शैक्षणिक अवकाश व अन्य समानान्तर मामलों पर निर्णय ले सकेगी ।

समिति के निम्नांकित सदस्य होगें ।

1). कुलपति
2). कृषि उत्पादन सचिव
3). प्रो. शिवराज सिंह कपूर (बोर्ड के मनोनीत सदस्य)
4). कुल सचिव (जो इस समिति के सचिव होगें)

सदस्यों का मत था कि सुविधानुसार बैठकें जयपुर में आयोजित की जाय ।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा डा. भानु प्रताप चौधरी को अवैतनिक अवकाश में वृद्धि हेतु प्राप्त ओवदन पर विचार किया गया । विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात निर्णय किया गया की डा. भानु प्रताप चौधारी के द्वारा किये जा रहे अध्यन कार्य की महता व उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अगस्त 1991 तक का अवैतनिक अवकाश उनके परामर्शदाता का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर व उन द्वारा अनुबंधित होने पर स्वीकृत किया जाय । साथ यह भी निर्णय लिया गया कि श्री चौधरी को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत निवास की सुविधा को भी खाली करना होगा ।

.....3.

राकृवि/प्रवो-14/89-7/189

विश्वविद्यालय पुरूस्कार समिति की सिफारिश डा. एल. एल. सोमानी को पुरूस्कृत किये जाने हेतु प्राप्त हुई ।
विस्तृत विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि डा. सोमानी को पुरूस्कृत तो किया ही जाय पर यह राशि 1500/-रू. से बढ़ाकर 5000/- रू. की जाय और भविष्य में यह पुरूस्कार 5000/-रू. का किया जाय।

राकृवि/प्रवो-14/89-7/181

श्री डी. के. मोदी पुत्र स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण मोदी, कनिष्ठ तकनिकी सहायक, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर की प्रार्थना जिसमें उन्होंने पूर्व सुखाड़िया विश्वविद्यालय कल्याण समिति के माध्यम से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि स्वीकृत होनी चाहिये थी प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है पर विचार किया गया ।
विस्तृत विचार विमर्श किया गया कि प्रार्थना पत्र 31. 10. 84 तक प्राप्त होना था परन्तु श्री लक्ष्मी नारायण मोदी के उतराधिकारीगण अवयस्क होने के कारण अब प्राप्त हुआ है। विलम्ब के कारणों का अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर से संतोषजनक उत्तर प्राप्त करने के पश्चात 7500/-रू. का आर्थिक अनुदान (कल्याण कोष की राशि) प्रदान किया जाना निर्णित किया गया। भुगतान की राशि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के तत्कालीन कल्याण कोष से देय होगी।

राकृवि/प्रवो-14/89-7/182

शैक्षणिक परिषद् की बैठक दिनांक 5-6 नवम्बर, 1989 में लिये गये मुख्य मुख्य निर्णयों पर विचार किया गया।
निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक परिषद् के कार्यवृत की पुष्टि निम्न संशोधन के साथ की जाय :-
अ) एम. एस. आर. डी. के पाठ्यक्रम के लिये नियोजन की संभावाना पर तथा पाठ्यक्रम पर विशेषज्ञों की राय जानी जाय।

राकृवि/प्रवो-14/89-7/183

डा. एस. एन. सक्सेना कमेटी द्वारा तैयार किया गया शैक्षिक योजना का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात योजना के प्रारूप को शैक्षिक परिषद् द्वारा गठित उप समिति द्वारा प्रारूप को अंतिम रूप देने पर पुनः बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कृषि उत्पादन सचिव श्री एम. एल. मेहता ने निम्न बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित किया :-

1. राष्ट्र स्तर की फसलों की अपेक्षा राज्य में उत्पादन होने वाली फसलों के अनुसंधान के अनुसंधान पर अधिक बल दिया जाना चाहिये ।
2. व्यावसायिक फसलों के अनुसंधान और उत्पादन पर अधिक बल दिया जाय।

3). संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार की जाय ।

कुलपति ने मण्डल को बताया कि जो प्रारूप बनाया गया है उसमें विषयों के लिये राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष स्ट्रेटेजी निर्धारित कर संसाधनों (मैन पावर, तकनीकी ज्ञान, को ध्यान में रखते हुए ही योजना तैयार की जायेगी । (अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता अनुमानित करने पर अलग से उसकी व्याख्या की जा। ।

राकृवि/प्रपो-14 89-7/184 माह सितम्बर में आयोजित विभिन्न चयन समितियों की सिफारिशों पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि चयन समिति की सिफारिशों को अनुमोदित किया जाय ।

दिनांक	पद नाम/विषय	प्रत्याशी का नाम	विवरण
18.9.89	सह आचार्य, एस. डब्ल्यू सी. (अभियांत्रिकी)	श्री मधुसुदन आचार्य श्री एम. एस. दाहेल श्री महेश कुमार हर्द	वि. वि. नियमानुसार " " न्यूनतम वेतन
18.9.89	सहा. आचार्य, गृहविज्ञान विस्तार शिक्षा	कु. रेखा उपाध्याय	न्यूनतम वेतन
19.9.89	आचार्य पशु पोषण न्यूट्रेशन	डा. गोपाल कृष्ण	नियंत्रण मण्डल को यह भी ज्ञात हुआ है कि इनके विरूध हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में जांच चल रही है इस संबंध में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से जानकारी प्राप्त कर ही आदेश प्रसारित किये जाने हेतु आगामी बैठक में पूर्ण जानकारी सहित प्रस्तुत हो ।
20.9.89	आचार्य, एस. डब्ल्यू. सी.	डा. राजवीर सिंह	न्यूनतम वेतन
20.9.89	आचार्य, पशु जनन	डा. ए. एल. तापड़िया	वि. वि. नियमानुसार
21.9.89	सहा. आचार्य, ओबस्ट व प्रसूति	डा. जे. एस. मेहता	" "
21.9.89	सह. आचार्य, पैथोलोजी	डा. जी. डी. शर्मा	" "
21.9.89	आचार्य, ओबस्ट व प्रसूति	डा. एस. एस. शर्मा	" "

राकृवि/प्रवो-14/89-7/185 भविष्य निधि समिति में प्रबन्ध बोर्ड के द्वारा दो सदस्यों के मनोनयन पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि डा. ओ. एस. राठोड़ व श्री युसुफ अली को प्रबन्ध बोर्ड के मनोनीत सदस्य के रूप में भविष्य निधि समिति में नियुक्त किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-14/89-7/186 दिनांक 26. 9. 89 को अधिष्ठाता एवं निदेशकों की नियुक्ति हेतु गठित समिति के कार्यवृत पर विचार किया गया ।

मद संख्या राकृवि/प्रबो-14/89-7/182 के अंतर्गत मद सख्या 6 के साथ विचार विमर्श किया गया ।

समिति द्वारा स्टेट्यूट 6(2) के फलस्वरूप कोई निर्णय लेना उपयुक्त नहीं समझा गया था तत्पश्चात शैक्षिक परिषद् की बैठक दिनांक 5-6 नवम्बर, 1989 की मद संख्या 24 में कुलपति महोदय को अधिष्ठाता नियुक्त करने हेतु अधिकृत किया गया है। सिद्धान्त: अधिष्ठाताओं की नियुक्ति संकायों के वरियता के आधार पर प्रथम पांच आचार्यों में से की जावे। इस सम्बन्ध में यह तय किया गया कि कुलपति आगामी बैठक में आवश्यकतानुसार अपनी सिफारिशे लावें।

राकृवि/प्रवो-14/89-7/187 राज्य के विश्वविद्यालय में कुलपति को पुनरक्षित वेतन मान रू. 7600/- प्रतिमाह दिनांक 1. 1. 86 से प्रदान किये जाने पर विचार हुआ । विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल व कुलाधिपति को भेजा जावे व प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रेषित की जावे ।

राकृवि/प्रवो-14/89-7/188 अधिष्ठाता व विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की ओर से डा. जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव के पत्र क्रमांक 2(81)/89/आर. सी. सेल. दिनांक 7. 9. 89 जिसके द्वारा जी. वी. के. राव रिव्यू समिति की सिफारिशे प्राप्त हुई हैं पर विचार हुआ ।

मण्डल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के लिये नियुक्त जी. वी. के. राव समिति की सिफारिश अधिष्ठाता एवं आचार्य के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार विमर्श पश्चात यह मत रहा कि अधिष्ठाता व विभागाध्यक्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के उक्त पत्र में दिये गये सुझाव अनुसार अनुबंध पर आधारित होना ही उपयुक्त है, किन्तु नियुक्तियाँ तीन वर्ष की पदावधी की हो जिसके पश्चात पुन: नियुक्ति तीन वर्ष की दी जा सकेगी परन्तु दो कार्यकाल (तीन - तीन वर्ष) के पूर्ण करने के पश्चात तीसरी बार वह नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।

.....6

इस संबंध में विश्वविद्यालय के अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने की कार्यवाही की जाय ।

राकृवि/प्रबो-14/89-7/189 विश्वविद्यालय कर्मचारियों को भविष्य निधि खाते में वर्ष 1987, 1988 व 1988-89 के लिये 11 प्रतिशत ब्याज दर प्रदान की जाने पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-14/89-7/190 दिनांक 5-6 नवम्बर, 1989 की शैक्षणिक परिषद् व दिनांक 18.11.89 की अधिष्ठाता परिषद् की बैठक में अनुमोदित राजस्थान कृषिविश्वविद्यालय, बीकानेर के छात्र संघ के संविधान पर विचार किया गया ।

छात्र संघ के संविधान का अनुमोदन किया गया । चुनाव प्रणाली के संबंध में डा. पी. डी. शर्मा ने मत व्यक्त किया की भविष्य में चुनाव अप्रत्यक्ष (कक्षा प्रतिनिधिद्वारा) किया जाय व छात्र संघ की सदस्यता स्वेच्छिक हो।

राकृवि/प्रबो-14/89-7/191 मानद पुस्तकालाध्यक्ष को मानदेय भत्ता एवं अन्य सुविधायें दिये जाने पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि जब तक पुस्तकालाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक मानद पुस्तकालयाध्यक्ष को 250/-रू. प्रतिमाह मानदेय भत्ता स्वीकृत किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-14/89-7/192 दिनांक 11.5.89 को कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा जयपुर में आयोजित अधिष्ठाता परिषद् की बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

निर्णय लिया गया कि कार्यवृत को आलोकित किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-14/89-7/193 अधिष्ठाता परिषद् की बैठक दिनांक 13.11.89 को उदयपुर में आयोजित हुई जिसके कार्यवृत में लिये गये मुख्य निर्णयों को प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

निर्णय लिया गया कि कार्यवृत को आलोकित किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-14/89-7/194 दिनांक 18.11.89 को कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा जयपुर में आयोजित अधिष्ठाता परिषद् की बैठक के कार्यवृत में लिये गये निर्णयों का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

निर्णय लिया गया कि अधिष्ठाता परिषद् में लिये गये निर्णयों को आलोकित किया जाय ।

.....7.

राकृवि/प्रबो-14/ 89-7/195	सुश्री इन्द्रा मोजेज़ अधिक्षक शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर के द्वारा उपचार व औषधियों पर किये गये खर्च का पुनर्भरण किये जाने पर विचार किया गया । उनके मामले की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उन द्वारा किये गये खर्च का पुनर्भरण करने का निर्णय लिया गया परन्तु इस केस को भविष्य में उदाहरण नहीं माना जायेगा ।
राकृवि/प्रबो-14/ 89-7/196	अनैतिक तरीकों के उपयोग किये जाने पर विद्यार्थियों को दण्डित किये जाने हेतु गठित समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया । निर्णय लिया गया कि समिति की सिफारिशों को अनुमोदित किया जाय ।
राकृवि/प्रबो-14/ 89-7/197	श्री रणजीत सिंह, विशेषाधिकारी, उदयपुर केम्पस में कार्यरत के लेखा संबंधि कार्य, कर्मचारियों को प्रशिक्षित व कोषागारों की कार्य प्रणाली में संशोधन हेतु छः माह की सेवा अवधि बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए निर्णय लिया गया कि उनकी सेवा अवधि अग्रिम छः माह के लिये बढ़ाई जावें ।
राकृवि/प्रबो-14/ 89-7/198	विश्वविद्यालय की गतिविधियों व उपलब्धियों की जन सामान्य में प्रचार व प्रसार के कार्य को संभालने हेतु एक जन सम्पर्क अधिकारी के पद के सृजन की आवश्यकता अनुभव की गई । जिस पर निर्णय लिया गया कि इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर आगामी बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जाय ःताकि आठवीं योजना में इस पद के सृजन की कार्यवाही की जा सके ।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई ।

ह0/-	ह0/-
{डा. के. एन. नाग}	{खुशहाल सिंह}
अध्यक्ष	सदस्य सचिव